छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा चतुर्दश सत्र अंक-04

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

(पौष 1, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 69 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद - 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-3),

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट),

(3) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016-17,

(4) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017), तथा

(5) श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2014-15 **पटल पर रखे।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 18 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक सदस्य

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री मोतीलाल देवांगन
4. श्री मोतीलाल देवांगन
5. श्री मोतीलाल देवांगन
6. सर्वश्री पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, डॉ. प्रीतम राम
7. श्री अरूण वोरा
8. श्री देवजी भाई पटेल
9. श्री देवजी भाई पटेल,
10. श्री देवजी भाई पटेल,

11. श्री सत्यनारायण शर्मा
12. श्री अरूण वोरा
13. श्री राजेन्द्र कुमार राय, श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्री भैयाराम सिन्हा
14. सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल
15. सर्वश्री भूपेश बघेल, अरूण वोरा, केशव चन्द्रा
16. श्री सत्यनारायण शर्मा
17. सर्वश्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), दलेश्वर साहू, दिलीप लहरिया
18. डॉ. सनम जांगड़े

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को उन्होंने सदन में 12 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) डॉ. खिलावन साहू
(2) श्री नवीन मारकण्डेय
(3) श्री दलेश्वर साहू
(4) डॉ. प्रीतम राम
(5) श्री चिन्तामणी महाराज
(6) श्री देवजी भाई पटेल
(7) श्री दीपक बैज
(8) श्री मोतीलाल देवांगन
(9) श्री टी.एस.सिंहदेव
(10) श्री बृहस्पत सिंह
(11) श्री अमरजीत भगत
(12) डॉ. विमल चोपड़ा

5. याचिका की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार श्री मोहन मरकाम, सदस्य की याचिका पढ़ी हुई मानी गई।

6. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं उनके मत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

7. औचित्य का प्रश्न

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के जिस कार्यकाल का है अमूमन उसी कार्यावधि पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आरोप पत्र अविश्वास प्रस्ताव के अंग माने जाते है तो यह चर्चा के योग्य नहीं है, इसमें चर्चा कतई नहीं कराई जानी चाहिए।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि मान्य परंपरा रही है कि जिन विषयों में चर्चा हो चुकी रहती है उस विषयों को पुन: नहीं उठाते हैं।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि अविश्वास प्रस्ताव पर आरोप पत्र सचिवालय में प्रस्तुत किया गया है, वह शासन को परिवहित किया गया है। अभी अविश्वास प्रस्ताव पर प्रस्तुत आरोप पत्र सदन के पटल पर नहीं रखा गया है। आरोप पत्र में जो भी तथ्य हैं उनके संबंध में आप अपने भाषण में व्यक्त कर सकते हैं।

8. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमश:)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप पत्र की प्रति सभा के पटल पर रखी।

9. औचित्य का प्रश्न एवं व्यवस्था

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने पुन: व्यवस्था देने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आरोप पत्र में किन विषयों को सम्मिलित करना है, यह विपक्ष का अधिकार है। इसलिये मैं चर्चा प्रारंभ करता हूं।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, तोखन साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री अरूण वोरा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, जनकराम वर्मा, शिवरतन शर्मा, मोतीलाल देवांगन,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्य सूची में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक समयवृद्धि की घोषणा की)

श्रीमती सरोजनी बंजारे, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री संतोष बाफना, बृहस्पत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री,

10. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री ताम्रध्वज साहू अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजें थपथपा कर स्वागत किया गया।

11. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमश:)

सर्वश्री गुरूमुख सिंह होरा, देवजी भाई पटेल,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री कवासी लखमा, डॉ. खिलावन साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अमरजीत भगत, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी-संसदीय सचिव, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री अमर अग्रवाल-नगरीय प्रशासन मंत्री,

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

सर्वश्री केशव चंद्रा, मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती चंपादेवी पावले, श्री भैयाराम सिन्हा, श्री केदारनाथ कश्यप-आदिम जाति विकास मंत्री, श्री रामदयाल उइके, डॉ. विमल चोपड़ा,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री उमेश पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अमित अजीत जोगी,

12. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - विधान सभा के वर्तमान शीतकालीन सत्र हेतु सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ के संवाददाता श्री शशांक तिवारी को पत्रकार दीर्घा का पास पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति की अनुशंसा पर दिया गया था।

सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 के अंक में गुरू घासीदास जयंती और विधानसभा शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया है, जो विधान सभा की गरिमा के विपरीत है एवं विधान सभा की छवि को जनता के समक्ष धूमिल करने तथा गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए अध्यक्ष के स्थायी आदेश 140 (9) के अंतर्गत मैं सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ के संवाददाता को जारी पत्रकार दीर्घा का प्रवेश पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

13. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमश:)

श्री संतराम नेताम, डॉ. प्रीतम राम, सर्वश्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), दिलीप लहरिया, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कवंर, राजेन्द्र कुमार राय, पारसनाथ राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल, गिरवर जंघेल,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दलेश्वर साहू, दीपक बैज, पुन्नूलाल लाल मोहले-खाद्य मंत्री,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने भाषण प्रारंभ किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, (जारी..)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष (जारी..)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह-मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह-मुख्यमंत्री (जारी..)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 38 विपक्ष में 48 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

14. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष ने आग्रह किया कि नियम 139 के अधीन चर्चा को आगामी सत्र में लिया जावे। संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर सहमति व्यक्त की।

15. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री संतोष बाफना, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि माननीय सदस्य डॉ. विमल चोपड़ा छत्तीसगढ़ विधान सभा, द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 27/11/2014 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. नियम -239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम - 239 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की निम्नांकित सूचनाएं मेरे समक्ष विचाराधीन हैं :-

(1) माननीय संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, श्री अजय चंद्राकर द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव एवं माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 08 अगस्त, 2017

(2) माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री देवजी भाई पटेल के द्वारा सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ के सम्पादक श्री सुनील कुमार एवं संवाददाता श्री शंशाक तिवारी के विरूद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

17. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

चतुर्थ विधान सभा का चौदहवां सत्र 19 दिसम्बर से 22 दिसम्बर के मध्य आहुत था । चतुर्थ विधान सभा के इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, जिसमें से 2 विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुए, साथ ही तृतीय अनुपूरक बजट पारित करने का महत्वपूर्ण कार्य संपादित हुआ। इस सत्र के आज अंतिम कार्यदिवस में प्रतिपक्ष द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण और व्यापक चर्चा हुई । इस संदर्भ में मेरा यह मानना है कि असहमति के मध्य सहमति की संभावनाओं को तलाशना ही संसदीय लोकतंत्र की विशिष्टता है। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को अविश्वास के मध्य विश्वास को स्थापित करने के लिए बधाई देता हूं वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को सकारात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए हृदय से साधुवाद प्रेषित करता हूं।

छत्तीसगढ़ राज्य की हमारी यह चतुर्थ विधान सभा शनैः शनैः अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है । आगामी बजट सत्र इस कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र होगा । मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि सदन में आप माननीय सदस्यों के संसदीय कौशल में उत्तरोत्तर सुधार परिलक्षित हो रहा है और इसका सीधा लाभ इस प्रदेश की आम जनता को प्राप्त हो रहा है।

इस सत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही कि सदन की कार्यवाही निर्बाध गति से संचालित हुई। पक्ष-प्रतिपक्ष के आप माननीय सदस्यों ने चर्चा के विभिन्न माध्यमों से अविलंबनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषय पर विस्तृत व्यापक और सारगर्भित चर्चा की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन चर्चाओं से प्राप्त निष्कर्ष भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्ध होंगे।

हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि आधारित राज्य है हमारी संपूर्ण व्यवस्थाओं का केन्द्र कृषि ही है। प्रदेश के किसान भाईयों की आवश्यकताओं और सुविधाओं के प्रति यह सदन अत्यन्त संवेदनशील रहा है तथा इस सत्र में कृषकों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय के संबंध में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा हुई ।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर दिया जाता है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं,

छात्र-छात्राओं, जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता सहित कुल 6620 लोगों ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया एवं ''हमर छत्तीसगढ़'' योजना के तहत इस सत्र में 1132 जनप्रतिनिधियों ने विधान सभा का भ्रमण किया।

इस सत्र में माननीय सदस्यों ने संदर्भ और पुस्तकालय शाखा से कुल 376 संदर्भ प्राप्त किये । यह आंकड़े सदन में होने वाली चर्चा के प्रति आपकी गंभीरता को प्रदर्शित करता है । इस अवसर पर मैं विशेष रूप से यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस सत्र अवधि में हमारी विधान सभा की वेबसाइट को लगभग 3950 लोगों ने देखा है ।

अब मैं आपको इस लघु शीतकालीन सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र की कुल 4 बैठकों में लगभग 37 घंटे 35 मिनट चर्चा हुई । 4 बैठकों में 38 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 9 से अधिक प्रश्नों का रहा। इस सत्र में 296 तारांकित प्रश्न एवं 293 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 589 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 199 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 35 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 6 सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई तथा 18 सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई एवं 36 सूचनाएं नियम 267 'क' की सूचना के रूप में परिवर्तित हुई। इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 71 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 1 विषय से संबंधित 33 सूचनाओं पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना को ग्राह्य कर चर्चा कराई गई । शून्यकाल की 52 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें 37 सूचनाएं ग्राह्य और 15 सूचनाएं अग्राह्य रही। इस सत्र में 6 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 3 घंटे 50 मिनट चर्चा हुई।

मुझे सभा को यह भी जानकारी देना है कि आज सभा की कार्यवाही निर्बाध रूप से लगातार 21 घण्टे से अधिक चली जो अब तक की सबसे लम्बी बैठक है ।

आज इस सत्र का अंतिम कार्य दिवस है सत्र के निर्विघ्न सम्पन्न होने पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिए मैं सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एवं माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष सहित सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़

दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ ।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के सचिव सहित विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया। सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित किये जाने की परम्परा है। तद्नुसार आगामी सत्र फरवरी माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में संभावित है।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को आगामी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ - धन्यवाद

धन्यवाद ! जय हिन्द ! जय छत्तीसगढ !

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए।

18. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्-मण की धुन बजाई गई)

दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को प्रात: 7.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा